

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004
=====

क्रमांक- एफ 73- 63/20-3/2005

भोपाल, दिनांक - 28/6/05

प्रति,

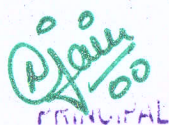
सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल बड़वाड जिला खरगोन, मध्य प्रदेश को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु एन.ओ.सी. देने बाबत ।

== 00 ==

राज्य शासन द्वारा अशासकीय नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल बड़वाड, जि. खरगोन को सी.बी.एस.ई. / आई.सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिसे शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पंजीयक परीक्षा को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
03. मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
04. खेलकूद गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परन्तु ऐश्वर्या न होने पर भी यदि मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी खेल परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना होगा ।


PRINCIPAL

NARMADA VALLEY INTERNATIONAL SCHOOL
BARWAHA

निरन्तर 2 पर.....

05. राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

॥ आर. आर. अहिरवार ॥
अवर सचिव

मोप्रो शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

पृ. क्र. रफ 73 - /20-3/200

भोपाल, दिनांक -

प्रतिलिपि :-

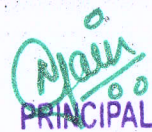
1. आयुक्त, लोक शिक्षण, मोप्रो भोपाल।
 2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - बरगोन, मध्यप्रदेश।
 3. प्राचार्य, अशा. नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल बरगोन, मध्यप्रदेश।
- की ओर सुपुर्कार एवं आवश्यक कार्रवाई हो देते अनुरोधित है।

अवर सचिव

मोप्रो शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

//मानकर//

30.12.04


PRINCIPAL

NARMADA VALLEY INTERNATIONAL SCHOOL
BARWAHA